बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 174819 / पटना, दिनांक 21/01/2014

सं0सं0- R.11019/238/2009-sec-07(6)

प्रेषक,

कनक बाला,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
सिवान, मुंगेर एवं बेगूसराय ।

विषय:- **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट का दिव्तीय किस्त केन्द्रांश की विमुक्ति के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट **दिव्तीय** किस्त राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय अनुपातिक राज्यांश दिया जाता है । आपके जिले को भारत सरकार, से SGSY के अंतर्गत ग्रामीण हाट के निर्माण हेतु **दिव्तीय** किस्त केन्द्रांश प्राप्त हुआ है या नहीं इसके संबंध में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है । यदि आपके पास **दिव्तीय** किस्त केन्द्रांश विमुक्ति संबंधी कोई पत्र हो तो उसकी प्रति इस विभाग को अविलंब उपलब्ध करायी जाय । **दिव्तीय** किस्त केन्द्रांश की विमुक्ति के संबंध में आपके स्तर से कोई कार्रवाई लंबित हो तो उसे शीघ्र पूरी कर ली जाय ।

विभागीय पत्रांक - 123543 दिनांक - 24.09;2012 एवं 128264 दिनांक- 06.11.2012 द्वारा आपके पहले ही यह निदेश दिया जा चुका है कि SGSY मद में जिले उपलब्ध राशि से ग्रामीण हाट का निर्माण कार्य पूरा कराकर भारत सरकार, को राशि विमुक्ति हेतु भेजने तथा राशि विमुक्ति होने पर उसे SGSY मद में समायोजित करते हुए विभाग को अवगत कराया जाय , परन्तु वांछित प्रतिवेदन आपके जिले से अप्राप्त है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि विषयांकित मामले में कृत कार्रवाई से विभाग को अविलंब अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

21/1/14

(कनक बाला)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।